"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 28 मार्च 2008—चैत्र 8, शक 1930

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं कु. कुन्ती राउत आत्मजा श्री मेघराज राउत, उम्र 32 वर्ष, निवासी पी. डब्ल्यू. डी. आफिस के पास, सिकोलाभाठा, धमधा रोड, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर कु. कुन्तल राउत रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे कु. कुन्तल राउत आत्मजा श्री मेघराज राउत के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
कु. कुन्ती राउत आत्मजा-श्री मेघराज राउत निवासी-पी. डब्ल्यू. डी. आफिस के पास सिकोलाभाठा, धमधा रोड, दुर्ग तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	कु. कुन्तल राउत आत्मजा-श्री मेघराज राउत निवासी-पी. डब्ल्यू. डी. आफिस के पास सिकोलाभाठा, धमधा रोड, दुर्ग तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं कु. संध्या राय आत्मजा श्री शिवशंकर राय, आयु 40 वर्ष, निवासी श्यामा श्यामधाम वृन्दावन (उ. प्र.) हाल मुकाम क्वाटर नं. 68, सड़क नं. एन. पी. ए., सेक्टर ९, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ. ग.) की हूं. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सुश्री महेश्वरी देवी रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे सुश्री महेश्वरी देवी आत्मजा श्री शिवशंकर राय के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
कु. संध्या राय आत्मजा-श्री शिवशंकर राय निवासी-श्यामा श्यामधाम वृन्दावन (उ. प्र.)	सुश्री महेश्वरी देवी आत्मजा-श्री शिवशंकर राय निवासी-क्वाटर नं. 6 B. सड़क नं. एन. पी. ए., सेक्टर ९, भिलाई जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं समे लाल पिता स्व. धन्नू, उम्र 48 वर्ष, जाति राठौर, निवासी ग्राम-भदोरा, तहसील-पेंड्रारोड. जिला-बिलासपुर, छ. ग. का हूं. मैं दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे के अन्तर्गत इंजीनियरिंग विभाग में गेंगमेन के ५८ ५१ अनुपपुर में कार्यरत हूं. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर मेवा लाल राठौर रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे मेवालाल राठौर पिता स्व. धन्नू राठौर के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
समे लाल पिता-स्व. धन्नू ग्राम-भदौरा, पो. आ.-सेनटोरियम तहसील-पेन्ड्रारोड जिला-बिलासपुर (छ. ग.)	मेवालाल राठौर पिता-स्व. धन्नू राठौर ग्राम-भदौरा, पो. आ.-सेनटोरियम तहसील-पेन्ड्रारोड जिला-बिलासपुर (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, दुर्ग

प्रारूप–चार
[नियम 5 (1) देखिये]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 का 30 की धारा 5 की उपधारा (2) और छ. ग. लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5 (1) देखिए]

दुर्ग, दिनांक 10 मार्च 2008

क्रमांक/391/प्र. 1/अ.वि.अ./2008.—चूंकि सदर (प्रधान) श्री किशोरीलाल सिंघानिया एवं अन्य 16 द्वारा "श्री श्याम चेरेटेबल ट्रस्ट" कादम्बरी नगर दुर्ग (छ. ग.) ने छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 5 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह निर्दिष्ट की गयी न्यास पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 11-4-08 को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो, इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अत: मैं, क्यू. ए. खान, अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग एवं पंजीयक, लोक न्यास, दुर्ग अपने न्यायालय में दिनांक 11-4-08 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्त्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जायेगा.

अनुसूची
(लोक न्यास का नाम, पता एवं संपत्ति का विवरण)

(1)	लोक न्यास का नाम और पता	:	"श्री श्याम चेरेटेबल ट्रस्ट" पता कादम्बरी नगर, दुर्ग (छ. ग.)
(2)	संपत्ति रुपये	:	21,000/- (इक्कीस हजार रुपये मात्र) समाज द्वारा संग्रहित राशि

क्यू. ए. खान,
अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुरूद, जिला-धमतरी (छ. ग.)

धमतरी, दिनांक 12 मार्च 2008

ग्राम-रांकाडीह, प. ह. नं.-46, रा. नि. मं.-मगरलोड, तहसील-मगरलोड, जिला-धमतरी (छ. ग.)

राजस्व प्रकरण क्रमांक ब/113 सन् 2007-2008.—सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक श्री अजय चन्द्राकर पिता कलीराम चन्द्राकर, निवासी कुरूद, संरक्षक, श्रीरामजानकी ट्रस्ट, मधुबन धाम, रांकाडीह, तहसील-मगरलोड, जिला-धमतरी एवं ट्रस्टीगण के द्वारा ट्रस्ट (न्यास) का म. प्र./छ. ग. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 4 के अंतर्गत पंजीयन करने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है.

उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति, संस्था आदि को किसी भी प्रकार का आपत्ति हो तो सुनवाई तिथि 28-3-2008 को प्रात: 11.00 बजे मेरे न्यायालय में स्वत: उपस्थित होकर अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दावा, आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है, विलंब से प्राप्त दावा आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा.

आज दिनांक 12-03-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा के अधीन जारी किया गया.

जन्मेजय महोबे,
अनुविभागीय अधिकारी.

अन्य सूचनाएं

वनमण्डलाधिकारी, जशपुर वनमण्डल (छ. ग.)

जशपुर, दिनांक 29 फरवरी 2008

क्रमांक/पी. ओ. आर./2008/1191.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि परिक्षेत्र कुनकुरी के बन्दरचुआं परिसर रक्षक श्री राजेश्वर राम चौहान के निवासगृह बन्दरचुआं से दिनांक 14-1-2008 को रात्रि को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बैग सहित चोरी कर लिया गया है. इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दोकड़ा पुलिस चौकी में दर्ज की जा चुकी है.

वन वित्तीय नियम 124 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए पी. ओ. आर. बुक क्र. 160/7951 से 7995 तक कटा हुआ एवं 160/7996 से 7998 तक कोरा को अपलेखित किया जाता है. उक्त पी. ओ. आर. यदि किसी व्यक्ति को मिले तो कृपया निकटतम पुलिस थाना में जमा करें. इस विज्ञप्ति के अनुसार कोई व्यक्ति इस पी. ओ. आर. बुक को अनाधिकृत रूप से रखते हुए अथवा उपयोग करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

पी. ओ. आर. बुक क्र. 160/7951 से 7995 तक कटा हुआ
160/7996 से 7998 तक कोरा

ओ. पी. यादव,
वनगण्डलाधिकारी.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2008.